न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-66RAAJodhpur2024-58RTA225 Uttamsingh ors Vs Anachh Kanwar etc

01. उत्तमसिंह पुत्र श्री कुम्भसिंह
02. अणछ कंवर पत्नी श्री तेजसिंह
03. उम्मेद सिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह
04. कवरसिंह पुत्र श्री तेजसिंह
05. खमाणसिंह पुत्र श्री जसवंतसिंह
06. गणपतसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह
07. गुलाब कंवर पत्नी श्री अर्जुनसिंह
08. गोपालसिंह पुत्र श्री कुम्भसिंह
09. चूनसिंह पुत्र श्री रूपसिंह
10. जगमालसिंह पुत्र श्री रूपसिंह
11. जुझारसिंह पुत्र श्री जोरसिंह
12. जतनकंवर पत्नी श्री पुंजराजसिंह
13. जैतसिंह पुत्र श्री सांगसिंह
14. जैतसिंह पुत्र श्री पुंजराजसिंह
15. जसुसिंह पुत्र श्री उदेयसिंह
16. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री जसवंतसिंह
17. नरपतसिंह पुत्र श्री पुंजराजसिंह
18. नरपतसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह
19. प्रयागसिंह पुत्र श्री कुम्भसिंह
20. पाबूसिंह पुत्र श्री रूपसिंह
21. मगसिंह पुत्र श्री उदेयसिंह
22. मनोहरसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह
23. मूलसिंह पुत्र श्री तेजसिंह
24. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री जसवंतसिंह
25. मालमसिंह पुत्र श्री किशनसिंह
26. भंवरसिंह पुत्र श्री मोडसिंह
27. भैरूसिंह पुत्र श्री मोडसिंह
28. राजूसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह
29. रावलसिंह पुत्र श्री जसवंतसिंह
30. विक्रमसिंह पुत्र श्री जसवंतसिंह
31. सवाईसिंह पुत्र श्री उदेयसिंह
32. सारो कंवर पत्नी श्री किशोरसिंह
33. हुकमसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह
34. हरिसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- मोतीसिंह नगर चोरडिया, तहसील सेतरावा, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

01. अणछ कंवर पत्नी श्री गणपतसिंह जाति राजपूत, निवासी- मोतीसिंह नगर सियासरीया, तहसील सेतरावा, जिला जोधपुर।
02. उप पंजीयक सेतरावा।
03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेतरावा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2022 सहायक कलक्टर देचू राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 203/2022 अणछ कंवर बनाम उत्तमसिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री रामेश्वर दवे, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2 व 3

नि र्ण य

दिनांक : 10 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ड्स ने सहायक कलक्टर देचू द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 203/2022 अनवान अणछ कंवर बनाम उत्तमसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 19 मार्च 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 520 रकबा 9.5263 हैक्टेयर, खसरा नं. 523 रकबा 8.3932 हैक्टेयर, खसरा नं. 526 रकबा 0.3723 हैक्टेयर ग्राम मोतीसिंह नगर तहसील सेतरावा के संबंध धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 दिंसबर 2022 के जरिये प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात में रेस्पोडेंट संख्या एक का 1/16 हिस्सा ही निहित है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ में नजरी नक्शा पेश किया तथा कथन किया कि सभी पक्षकार मौखिक बंटवाड़े अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थीनी द्वारा उक्त खसरान् में अपने हक-हिस्से एवं कब्जे काश्त में उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत ही अनुतोष चाहा गया था, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर प्रत्यर्थी संख्या एक के 1/16 हिस्से से भी अधिक यानी संपूर्ण वादग्रस्त आराजीयात पर स्थगन आदेश पारित कर दिया जो पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध है एवं किसी भी स्थिति में उक्त आदेश पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में है। रेस्पोडेंट संख्या एक अपने 1/16 हिस्से की आड़ में अपीलार्थीगण को तंग व परेशान कर रही है। अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से अपीलांट्स अपने हक-हिस्से की भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहे तथा न ही कृषि विकास कार्य कर पा रहे है, जिससे अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति हो रही है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आलौच्य आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जारी किया गया है। अपीलांट्स को आलौच्य आदेश की जानकारी रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्राप्त होने पर हुई एवं तत्काल उक्त अंतरिम स्थगन आदेश को आगे नहीं बढाने बाबत जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जवाब बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया। उक्त आदेश विधिविरुद्ध होने से अपीलार्थीगण द्वारा इसे उक्त अपील के माध्यम से चुनौती दी गई इसलिए उक्त अपील निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2022 को खारिज फरमाया जावे। एवं प्रत्यर्थी संख्या एक के 1/16 हिस्से तक ही स्थगन आदेश को प्रभावी रखा जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश अपीलांट्स की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित किया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना में पत्र में किये कथनों पर विश्वास करते हुए मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजियात उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा उक्त आराजी में रेस्पोडेंट संख्या एक का 1/16 हिस्सा निहित है। विचारण न्यायालय समक्ष प्रार्थीनी/रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मौके पर अलग-अलग काश्त करते आ रहे है तथा मौखिक बंटवाड़े अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीनी/रेस्पो. द्वारा अपने हक-हिस्से की भूमि के बाबत ही अनुतोष चाहा गया है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीनी के हक-हिस्से के बजाय समस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किया जाना पाया जाता है जो विधिसम्मत नहीं है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि-विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। लिहाजा मामले

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के अंतिम निस्तारण हेतु प्रकरण निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देचू द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 203/2022 अनवान अणछ कंवर बनाम उत्तमसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2022 को रेस्पोडेंट संख्या एक के 1/16 हक-हिस्से तक प्रभावी रखते हुए अपीलांट्स के हक-हिस्से तक निरस्त किया जाता है। साथ ही अपीलांट्स को पाबंद किया जाता है कि वे रेस्पोडेंट संख्या एक के हक-हिस्से में दखलंदाजी नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर